बिहार सरकार
बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना।

आवश्यक सूचना
विज्ञापन सं०–01/2019

CWJC NO- 9887/2019 तथा अन्य सदृश्य मामले में दिनांक– 06.12.2019 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त दिशा निदेश के आलोक में विज्ञापन सं०–01/2019, (कनीय अभियन्ता) अन्तर्गत निम्नांकित मामलों में कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान करते हुए ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि दिनांक– **06.02.2020 से 17.02.2020** तक विस्तारित किया जाता है।

1. बिहार राज्य के नियमित सरकारी सेवक, जो वर्तमान में कार्यरत हैं, को उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने हेतु अधिकतम उम्र सीमा में कोटिवार 5 (पाँच) वर्षो की छूट अनुमान्य होगा। इसके तहत सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों को उक्त के अतिरिक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 (दस) वर्षो की छूट का लाभ देय होगा।

2. वैसे अभ्यर्थी, जिनका अधिकतम उम्र दिनांक–01.08.2011 को कनीय अभियंता के पद पर नियुक्ति के योग्य था, उन्हें कोटिवार 7 (सात) वर्षो का अधिकतम छूट देय होगा। कनीय अभियन्ता की विज्ञप्ति, वर्ष–2011 के पश्चात् प्रकाशित नहीं की गई है। प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जो वर्ष–2011 के पश्चात् सम्बन्धित वर्षों में योग्य होने के वावजूद विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं होने के कारण कोटिवार उम्र सीमा पार कर चुके हैं, को वर्तमान विज्ञापन वर्ष में योग्यता के वर्ष में उतने वर्षो को जोड़कर कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा में छूट अनुमान्य होगा।

3. दिव्यांग एवं संविदा कर्मी दोनों होने की स्थिति में उम्र संबंधी दोनो छूट एक साथ अनुमान्य नहीं होगा तथा यह छूट विकल्प आधारित होगा, जिसमें अभ्यर्थियों को विकल्प चुनने का छूट रहेगा कि वे दिव्यांग एवं संविदा कर्मी में से उम्र संबंधी कौन सी छूट पर दावा करते है।

4. उक्त के अतिरिक्त वैसे अभ्यर्थी, जो ऑन–लाईन आवेदन नहीं कर सके हैं, वे विहित प्रक्रिया के अनुसार ऑन–लाईन आवेदन समर्पित कर सकते है।

5. CWJC NO- 9887/2019 तथा अन्य सदृश्य मामले में दिनांक– 06.12.2019 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में यह स्पष्ट निदेश है कि वाद का अंतिम निर्णय सम्पूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया पर प्रभावी रहेगा।

3/2/2020

उप सचिव,

बिहार तकनीकी सेवा आयोग,पटन

SAVIR——/P